

[2023] 3 एस. सी. आर 1084

मेसर्स प्लेटिनम थिएटर और अन्य

बनाम

सक्षम प्राधिकारी तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर कर्त्ता (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम
1976 और एक अन्य

(2009 का दीवानी अपील संख्या 4369)

22 मार्च, 2023

[अजय रस्तोगी और बेला एम. त्रिवेदी, न्यायाधीशगण]

तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर कर्त्ता (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 धारा 2, 6, 7, 8, 9-विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (कोफेपोसा)-अपीलार्थी संख्या 1-पंजीकृत साझेदारी फर्म जिसमें अपीलार्थी संख्या 2 से 5 के अधीन थिएटर को नियंत्रित कर रहे थे-सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के अनुसार, मूल्यांकन मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक (यानी रु। थिएटर का 13.12 लाख रुपये) अस्पष्टीकृत बना हुआ है और तदनुसार थिएटर अधिनियम 1976 की धारा 7 के अंतर्गत जब्त करने के लिए उत्तरदायी था।-इससे व्यथित होकर, भागीदारों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उनकी याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि भागीदार अपनी आय के स्रोत का खुलासा करने में विफल रहे और उसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया-उच्च न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को 1976 अधिनियम की धारा 7 आर/ डब्लू 19 (1) के अंतर्गत बरकरार रखा-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: अभिलेख पर साक्ष्य से, न तो भागीदारों ने किसी भी स्रोत को उचित ठहराया है जहां से उनका

पूंजी योगदान किया गया था और न ही उनके द्वारा उनकी आय के स्रोत के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया था-भागीदारों द्वारा जो दिया गया था, उस पर सभी चरणों में अविश्वास किया गया था और एक निष्कर्ष वापस किया गया था कि उनके निवेश का बड़ा हिस्सा अज्ञात स्रोतों से आय थी-इसलिए, प्राधिकरण ने अधिनियम 1976 की धारा 7 के अधिकार का प्रयोग करते हुए संपत्ति को जब्त करने में कोई स्पष्ट त्रुटियां नहीं की है।

तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर कर्त्ता (संपत्ति की ज़बती) अधिनियम, 1976-का लक्ष्य और उद्देश्य-इस अधिनियम को तस्करों और विदेशी मुद्रा हेरफेर करने वालों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को ज़ब्त करने और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए एक उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया है। साथी ही, तस्करी की गतिविधियाँ और विदेशी मुद्रा में हेरफेर, जिनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी गतिविधियों में लगे व्यक्तियों को और उनके गलत तरीके से अर्जित लाभ से वंचित करना आवश्यक है।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित किया: 1. अधिनियम, 1976 को संसद द्वारा तस्करों और विदेशी मुद्रा हेरफेर करने वालों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को ज़ब्त करने और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए एक उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया है। साथ ही, तस्करी गतिविधियों और विदेशी मुद्रा हेरफेर की प्रभावी रोकथाम प्रदान करने के लिए, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं, ऐसी गतिविधियों और हेरफेर में लगे व्यक्तियों को उनके गलत तरीके से अर्जित लाभ से वंचित करना आवश्यक है। इसमें यह भी प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति धन-कर, आय-कर या अन्य कानूनों का उल्लंघन करके या अन्य माध्यमों से इस तरह के लाभ को बढ़ा रहे हैं और इस तरह गुप्त तरीके से काम करने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ा रहे हैं और ऐसे व्यक्तियों पर शिकंजा कस रहे हैं जो अपने रिश्तेदारों, सहयोगियों और विश्वासपात्रों के नाम पर इस तरह के लाभ के माध्यम से अर्जित संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं। [कंडिका 9] [1090-ई-जी]

2. अधिनियम, 1976 की धारा 2 (1) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों पर लागू होती है। धारा 2 (2) उन व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों की एक लंबी सूची देती है जिनपर अधिनियम लागू होता है और धारा 2 (2) (बी) में परिभाषित के रूप में शामिल है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके संबंध में कोफेपोसा के तहत निरोध का आदेश दिया गया है और इसमें खंड (ए) या खंड (बी) में निर्दिष्ट व्यक्ति का प्रत्येक सहयोगी भी शामिल है जैसा कि उपखंड (डी) में परिभाषित किया गया है, जो स्पष्टीकरण 3 के साथ पढ़ा गया है, जो एक सहयोगी को संदर्भित करता है और उन सभी व्यक्तियों को शामिल करता है जो संघ, निकाय, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी आदि सहित व्यक्तियों के संघ के सदस्य, भागीदार या निदेशक थे या हैं। [कंडिका 10] [1090-जी-एच; 1091-ए]

3. धारा 8 स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित करती है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में, अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के संबंध में धारा 6 के तहत दिए गए नोटिस/सूचना के संदर्भ में सबूत का भार प्रभावित व्यक्ति पर होगा और धारा 7 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय, किसी मामले में अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करना। जहां केवल एक भाग का स्रोत, आय के आधे से कम होने के कारण, जिसमें से ऐसी संपत्ति अर्जित की गई है, अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रमाण के अधीन रहा है, प्रभावित व्यक्ति को जब्त के बदले में भुगतान करने का विकल्प दिया जा सकता है, जो कि अधिनियम 1976 की धारा 9 के तहत इंगित किए गए हिस्से के मूल्य का जुर्माना है। [कंडिका 13] [1095-एच; 1096-ए-बी]

4. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अभिलेख पर तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर फिर से विचार किया और एक निष्कर्ष वापस किया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के दौरान किसी भी अपीलार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया था, जो अधिनियम 1976 की धारा 8 के संदर्भ में साबित करने के लिए बाध्य हैं। अभिलेख पर आए साक्ष्य से यह एकत्र किया जा सकता है कि भागीदारों द्वारा किए गए निवेश से (अपीलार्थी संख्या 2 से 5) 10.20 लाख रुपये, एक वाई

(वर्तमान कार्यवाही में एक पक्ष नहीं) ने 5 लाख रुपये का योगदान दिया और अपीलार्थी संख्या 2 और उनके बच्चों ने प्रत्येक 5.2 लाख रुपये का योगदान दिया है लेकिन न तो Y ने किसी भी स्रोत को उचित ठहराया है जहां से उनका पूंजी योगदान किया गया था और न ही अपीलार्थी संख्या 2 से 5 द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया था और उनकी आय के स्रोत के बारे में यह सभी चरणों में अविश्वास था और एक निष्कर्ष वापस किया गया था कि निवेश के प्रमुख हिस्से को अज्ञात स्रोतों से आय के रूप में माना गया है। इसके अलावा, अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा अभिलेख पर कोई सबूत नहीं दिया गया था। इस बात को सही ठहराने के लिए कि प्रश्नगत भूमि को 16 अप्रैल, 1969 के बिक्री विलेख के माध्यम से वर्ष 1969 में उनकी कमान में उपलब्ध संसाधनों से खरीदा गया था। दी गई परिस्थितियों में, अपीलार्थी अधिनियम 1976 की धारा 9 के संरक्षण की मांग करने के हकदार नहीं हैं। [कंडिका 16] [1097-सी-एफ]

5. इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसे अपीलार्थी संख्या 2 खंडन में जो प्रथम दृष्टया वर्ष 1969 में 33000 रुपये की कीमत वाली प्रश्नगत भूमि के अधिग्रहण के लिए उसके आदेश पर उपलब्ध धन के स्रोतों को भी उचित ठहरा सकता है। अधिग्रहण के स्रोत के बारे में उचित स्पष्टीकरण के अभाव में और चूंकि अधिकांश निवेश अस्पष्ट है, प्राधिकरण ने अपीलार्थी सं. 2 के वक्तव्यों पर अविश्वास किया क्योंकि उसकी शादी से उपहारों के अभिलेख पर कोई सबूत नहीं रखा गया था। इसके अलावा, यदि भूमि का मूल्य केवल 33,000/- रुपये लिया जाता है, तो भूमि और भवन का कुल मूल्य Rs.25,20,000/- है, और इस तरह, निवेश का प्रमुख हिस्सा अभी भी अस्पष्टीकृत बना हुआ है। यहां तक कि भवन के निर्माण की लागत के संबंध में खाते भी नहीं रखे गए थे, जिसके अभाव में, प्राधिकरण ने अधिनियम 1976 की धारा 7 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए संपत्ति को जब्त करने में कोई स्पष्ट त्रुटियां नहीं की है। [कंडिका 19] [1098-जी-एच; 1099-ए-बी]

सिविल अपील/न्यायाधिकार 2009 की सिविल अपील/दीवानी सं. 4369

2000 के डब्ल्यू. पी. संख्या 7263 में बेंगलोर स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 19.04.2007 के निर्णय और आदेश से।

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, अब्दुल अजीम कालेबुद्धे, अंकोलेकर गुरुदत्त, आदित्य देशमुख, अधिवक्ता, अपीलार्थियों के लिए अधिवक्तागण

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., अरिजीत प्रसाद वरिष्ठ अधिवक्ता, टी. ए. खान, शशांक बाजपेयी, बी. के. सतीजा, नचिकेता जोशी, राज बहादुर यादव, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया था

रस्तोगी, (न्यायमूर्ति)

1. तत्काल अपील 19 अप्रैल, 2007 को बेंगलोर स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 (इसके बाद "अधिनियम, 1976" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) दिनांक 31 दिसंबर 1997 की धारा 19 (1) के साथ पठित धारा 7 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया है।

2. अपीलार्थी संख्या 1 को एक पंजीकृत साझेदारी फर्म कहा जाता है जिसमें अपीलार्थी संख्या 2 से 5 शामिल है। और एक एन. ए. यूसुफ (इसमें कोई पक्ष नहीं) भागीदारों के लाभ बंटवारे के अनुपात के साथ इसके भागीदारों के रूप में इस प्रकार हैं:

एन. ए. यूसुफ - 50 प्रतिशत

पी. एम. साहिदा (अपीलार्थी सं. 2) - 25 प्रतिशत

मो० अली (अपीलार्थी सं 3) - 8.33 प्रतिशत

शौकत अली (अपीलार्थी सं. 4)

- 8.33 प्रतिशत

मुमताज (अपीलार्थी सं. - 5)

- 8.33 प्रतिशत

3. अभिलेख से निकाले गए पृष्ठभूमि तथ्य जिनके कारण विषय संपत्ति को जब्त करने का आदेश पारित किया गया, वे हैं - प्रथम अपीलार्थी के भागीदार, एन. ए. यूसुफ को महाराष्ट्र सरकार द्वारा 21 जनवरी, 1985 के आदेश द्वारा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (इसके बाद "कोफेपोसा" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) द्वारा और बाद में केंद्र सरकार द्वारा 27 अगस्त, 1991 के आदेश द्वारा हिरासत में लेने का आदेश दिया गया था। एन. ए. यूसुफ के खिलाफ दो निरोध आदेशों को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में चुनौती दी गई। दोनों याचिकाओं को क्रमशः 15 अक्टूबर, 1991 और 11 मई, 1992 के निर्णयों द्वारा अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप, 23 नवंबर, 1977 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित ज़बती आदेश समाप्त हो गया।

4. 16 अक्टूबर, 1994 को पहली अपीलकर्ता फर्म और उसके भागीदारों को एक कारणदर्शक सुचना जारी किया गया था, जिसमें उनसे यह स्पष्टीकरण देने का आह्वान किया गया था कि विषय थिएटर (मेसर्स प्लेटिनम थिएटर) को क्यों जब्त नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी ने पहली बार 31 जुलाई, 1995 के आदेश द्वारा मेसर्स प्लेटिनम थिएटर और उसके उपकरणों को जब्त करने वाली पहली अपीलकर्ता फर्म के खिलाफ ज़ब्त करने का आदेश पारित किया। हालांकि, अपीलकर्ताओं के कहने पर अपील किए जाने पर, मामले को 17 जुलाई, 1997 के आदेश द्वारा नए सिरे से विचार के लिए सक्षम प्राधिकारी को वापस भेज दिया गया था।

5. सक्षम प्राधिकारी ने मामले पर नए सिरे से पुनर्विचार करने और पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, 31 दिसंबर, 1997 को मेसर्स प्लैटिनम थिएटर की ज़बती का आदेश अधिनियम 1976 की धारा 7 के तहत पारित किया। इसके बाद, ज़ब्त संपत्ति के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (जिसे इसके बाद

"न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) ने अपील को खारिज कर दिया और 7 सितंबर, 1999 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित ज़ब्त के आदेश को बरकरार रखा और इसके बाद, अपीलकर्ताओं के कहने पर दायर रिट याचिका को भी 19 अप्रैल, 2007 के फैसले और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जो हमारे समक्ष अपील में चुनौती का विषय बन गया।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विशेष रूप से निम्नलिखित प्रस्तुतियों पर ज़ब्त के आदेश को चुनौती दी है:

(i) जिस भूमि पर विषय थिएटर का निर्माण किया गया था, वह पहली अपीलकर्ता फर्म की संपत्ति नहीं है। यह अपीलार्थी संख्या 2 (पी. एम. सहीदा पत्नी इब्राहिम सूफी) 16 अप्रैल, 1969 को एक पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदा गया है। चूंकि भूमि निजी तौर पर अपीलार्थी सं. 2 द्वारा धारित है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भूमि की जब्ती के संबंध में आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

(ii) सक्षम प्राधिकारी को वर्तमान मामले में अधिनियम, 1976 की धारा 9 को लागू करना चाहिए था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ताओं ने थिएटर के निर्माण में 50 प्रतिशत से अधिक लागत के स्रोत का खुलासा किया था, अपीलार्थियों को ज़ब्त करने के बदले जुर्माना देने का विकल्प प्रदान करना चाहिए था। अपीलार्थियों द्वारा विजया बैंक से प्राप्त 1 लाख रुपये का ऋण थिएटर के निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत से अधिक था। इस प्रकार, प्राधिकरण अधिनियम, 1976 की धारा 9 के संदर्भ में अपीलार्थियों को ज़ब्त करने के बदले जुर्माना देने का विकल्प देने के लिए बाध्य था।

(iii) 1995 में शुरू की गई जब्ती की कार्यवाही में भारी देरी हुई। साझेदारी फर्म वर्ष 1974 की है, थिएटर का निर्माण 1971-1974 अवधि के दौरान किया गया था और दो दशकों से अधिक समय के बाद 1997 में ज़ब्त करने का आदेश पारित किया गया था। सक्षम प्राधिकारी को इस आधार पर जब्ती के प्रतिकूल आदेश

को पारित करने में अत्यधिक देरी पर विचार करना चाहिए था कि प्रासंगिक दस्तावेजों का पता लगाने में लंबी देरी के कारण यह संभव नहीं हो सकता था, जो वास्तव में, अपीलार्थियों के लिए पूर्वाग्रह का कारण बना है।

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वापस किए गए निष्कर्ष का समर्थन करते हुए, पहली बार में, प्रश्नगत विषय संपत्ति को जब्त करते हुए और बाद में न्यायाधिकरण द्वारा आक्षेपित निर्णय में पुष्टि करते हुए, निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

(i) अधिनियम, 1976 की धारा 8 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में सबूत का भार प्रभावित व्यक्ति पर होगा। अपीलार्थी उक्त भार का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलेख पर सामग्री के साथ विधिवत समर्थित निष्कर्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31 दिसंबर, 1997 को पारित जब्त के आदेश को उचित ठहराता है और समर्थन करता है।

(ii) एन. ए. यूसुफ और अपीलार्थी सं. 2 (पी. एम. सहीदा) पहली अपीलकर्ता फर्म में अपने पूंजी योगदान के किसी भी स्रोत का खुलासा करने में विफल रहे और विषय थिएटर के निर्माण में खर्च के लिए किसी भी लेखा पुस्तिका का खुलासा करने में विफल रहे और किसी भी बैंक खाते का खुलासा करने में भी विफल रहे जिससे उक्त थिएटर के निर्माण के लिए धन वितरित किया गया था। इसके अलावा, अपीलार्थी सं 2 (पी. एम. साहिदा) इस दावे को सबूत के साथ साबित करने में विफल रही कि जमीन 1969 में उनकी शादी के उपहारों से खरीदी गई थी। तथ्यों और परिस्थितियों में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई ज़बती के निष्कर्ष की कार्यवाही के दौरान बाद के सभी चरणों में सही पुष्टि की गई है।

(iii) एन. ए. यूसुफ का योगदान साझेदारी फॉर्म में लगाई गयी 10.20 लाख रुपये की पूंजी के कुल योगदान के आधे से अधिक था। चूंकि मूल्य का 50 प्रतिशत

से अधिक अस्पष्ट था, इसलिए अपीलार्थी अधिनियम की धारा 9 के तहत ज़ब्त करने के बदले जुर्माना देने का विकल्प मांगने के हकदार नहीं थे।

(iv) ऐसी कोई देरी नहीं हुई जिसके लिए प्राधिकरण को जिम्मेदार ठहराया जा सके क्योंकि अपीलकर्ता फर्म के खिलाफ पहली बार में 13 जनवरी, 1977 को कारण दर्शाओ सुचना जारी करके कार्यवाही शुरू की गई थी और तब से कार्यवाही एक के बाद एक जारी रही। तत्काल कार्यवाही के संदर्भ में, अपीलकर्ता फर्म और उसके भागीदारों (अपीलकर्ता संख्या 2 से 5) को कारणदर्शक नोटिस दिया गया था। 16 अक्टूबर, 1994 को, जो अंततः 31 दिसंबर, 1997 के आदेश द्वारा धारा 7 के तहत संपत्ति की जब्ती में समाप्त हुआ। दी गई परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी अधिकारियों की ओर से अधिनियम, 1976 के तहत संपत्ति की जब्ती के संबंध में कार्यवाही शुरू करने में कोई देरी नहीं हुई, जिसे किसी भी तरह से दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में घातक नहीं कहा जा सकता है।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और उनकी सहायता से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

9. अधिनियम, 1976 को संसद द्वारा तस्करों और विदेशी मुद्रा हेरफेर करने वालों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को ज़ब्त करने और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए एक उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया है। साथ ही, तस्करी गतिविधियों और विदेशी मुद्रा हेरफेर की प्रभावी रोकथाम प्रदान करने के लिए, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं, ऐसी गतिविधियों और हेरफेर में लगे व्यक्तियों को उनके गलत तरीके से अर्जित लाभ से वंचित करना आवश्यक है। इसमें यह भी प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति धन-कर, आय-कर या अन्य कानूनों का उल्लंघन करके या अन्य माध्यमों से इस तरह के लाभ को बढ़ा रहे हैं और इस तरह गुप्त तरीके से काम करने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ा रहे हैं और ऐसे व्यक्तियों पर शिकंजा कस रहे हैं जो अपने रिश्तेदारों, सहयोगियों और विश्वासपात्रों के नाम पर इस तरह के लाभ के माध्यम से अर्जित संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं।

10. अधिनियम, 1976 की धारा 2 (1) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों पर लागू होती है। धारा 2 (2) उन व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों की एक लंबी सूची देती है जिनके लिए अधिनियम लागू होता है और धारा 2 (2) (बी) में परिभाषित के रूप में शामिल है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके संबंध में कोफेपोसा के तहत निरोध का आदेश दिया गया है और इसमें उपखंड (डी) में परिभाषित खंड (ए) या खंड (बी) में संदर्भित व्यक्ति का प्रत्येक सहयोगी भी शामिल है। स्पष्टीकरण 3 के साथ पढ़ा जाता है, जो एक सहयोगी को संदर्भित करता है और उन सभी व्यक्तियों को शामिल करता है जो संघ, निकाय, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी आदि सहित व्यक्तियों के संघ के सदस्य, भागीदार या निदेशक थे या हैं।

11. अधिनियम, 1976 की धारा 2, 6, 7, 8 और 9 जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, उन्हें नीचे निकाला गया है:

"2. आवेदन

(1) इस अधिनियम के प्रावधान केवल उप-धारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों पर लागू होंगे।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित हैं, अर्थात्:

(क) प्रत्येक व्यक्ति-

(i) जिसे समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 (1878 का 8) या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत एक लाख रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं के संबंध में अपराध का दोषी ठहराया गया है; या

(ii) जिसे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7), या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1104 1973 (1973 का 46) के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया

गया है, जिसमें शामिल राशि या मूल्य एक लाख रुपये से अधिक है; या

(iii) जिसे समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 (1878 का 8), या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत दोषी ठहराया गया है, उसे बाद में उन अधिनियमों में से किसी एक के तहत दोषी ठहराया गया है; या

(iv) जिसे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7), या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के तहत दोषी ठहराया गया है, उसे बाद में उन अधिनियमों में से किसी एक के तहत दोषी ठहराया गया है।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसके संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (1974 का 52) के तहत निरोध का आदेश दिया गया है; बशर्ते कि -

(i) निरोध का ऐसा आदेश, एक ऐसा आदेश है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 9 या धारा 12 ए के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत सलाहकार बोर्ड की प्रतिवेदन पर या सलाहकार बोर्ड की प्रतिवेदन प्राप्त होने से पहले या सलाहकार बोर्ड को संदर्भित करने से पहले रद्द कर दिया गया था; या

(ii) निरोध का ऐसा आदेश, जो एक ऐसा आदेश है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान लागू होते हैं, धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत समीक्षा के लिए या उसके आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 8 के तहत सलाहकार बोर्ड की प्रतिवेदन पर समय समाप्त होने से पहले रद्द नहीं किया गया है; या

(iii) निरोध का ऐसा आदेश, जो एक आदेश है, जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 12 क के प्रावधान लागू होते हैं, उस धारा की उप-धारा (3) के तहत पहली समीक्षा के लिए या उसके आधार पर या उस अधिनियम की धारा 12 क की उप-धारा (6) के साथ पठित धारा 8 के तहत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर समय की समाप्ति से पहले रद्द नहीं किया गया है; या

(iv) निरोध के ऐसे आदेश को सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा दरकिनार नहीं किया गया है;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जो खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति का रिश्तेदार है;

(घ) खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति का प्रत्येक सहयोगी;

(ङ) खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा पहले किसी भी समय धारण की गई किसी भी संपत्ति का कोई भी धारक (इसके बाद इस खंड में वर्तमान धारक के रूप में संदर्भित), जब तक कि वर्तमान धारक या, यथास्थिति, कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे व्यक्ति के बाद और वर्तमान धारक के समक्ष ऐसी संपत्ति धारण की थी, पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भावना से अंतरिती है या था।

स्पष्टीकरण 1.

स्पष्टीकरण 2.-

स्पष्टीकरण 3.- खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के संबंध में "सहयोगी" का अर्थ है -

(i) कोई भी व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति के आवासीय परिसर (आउटहाउस सहित) में रहा था या रह रहा है;

(ii) कोई भी व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति के मामलों का प्रबंधन कर रहा था या कर रहा था या उसके खाते रख रहा था;

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थ के भीतर व्यक्तियों का कोई संघ, व्यक्तियों का निकाय, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी, जिसमें ऐसा व्यक्ति सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा हो या है;

(iv) कोई भी व्यक्ति जो खंड (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी का सदस्य, भागीदार या निदेशक था या है, किसी भी समय जब ऐसा व्यक्ति ऐसे संघ, निकाय, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी का सदस्य, भागीदार या निदेशक था या है;

(v) कोई भी व्यक्ति जो खंड (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी संघ, व्यक्तियों के निकाय, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी के मामलों का प्रबंधन कर रहा था, या लेखा रख रहा था;

(vi)....."

6. ज़ब्त करने की सूचना

(1) यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित संपत्तियों के मूल्य को ध्यान में रखते हुए, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, या तो स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, उसकी आय, कमाई या संपत्ति के ज्ञात स्रोतों और धारा 18 के तहत या अन्यथा की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप उसके पास उपलब्ध किसी अन्य जानकारी या सामग्री को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी सभी या कोई भी संपत्ति अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है, वह ऐसे व्यक्ति (जिसे इसके बाद प्रभावित व्यक्ति के रूप में संदर्भित

किया गया है) को उस सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर, जो सामान्य रूप से तीस दिनों से कम नहीं होगी, अपनी आय, आय या परिसंपत्तियों के स्रोतों को इंगित करने के लिए, जिसमें से या जिसके माध्यम से उसने ऐसी संपत्ति अर्जित की है, वह साक्ष्य जिस पर वह निर्भर है और अन्य प्रासंगिक जानकारी और विवरण, और यह कारण दिखाने के लिए कि ऐसी सभी या ऐसी संपत्तियों में से कोई भी, जैसा भी मामला हो, क्यों नहीं होनी चाहिए, सूचित करने के लिए एक सूचना दे सकता है। इस अधिनियम के तहत अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को और केंद्र सरकार को जब्त करने की घोषणा की गई।

(2) जहां किसी को उप-धारा (1) के तहत कोई सूचना निर्दिष्ट करती है कि कोई संपत्ति ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित की जा रही है। नोटिस/सूचना की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी दी जाएगी।

7. कुछ मामलों में संपत्ति की ज़बती

(1) सक्षम प्राधिकारी, धारा 6 के तहत जारी कारण बताओ नोटिस/सूचना के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और उसके सामने उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद और प्रभावित व्यक्ति को देने के बाद (और ऐसे मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से नोटिस/सूचना में निर्दिष्ट कोई संपत्ति रखता है, ऐसे अन्य व्यक्ति को भी) सुनवाई का एक उचित अवसर, आदेश द्वारा, एक निष्कर्ष दर्ज कर सकता है कि क्या प्रश्नगत सभी या कोई भी संपत्ति अवैध रूप से अधिग्रहित संपत्ति है।

(2) जहां सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि कारण बताओ नोटिस/सूचना में निर्दिष्ट कुछ संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां हैं, लेकिन विशेष रूप से ऐसी संपत्तियों की पहचान करने में सक्षम नहीं

है, तो सक्षम प्राधिकारी के लिए उन संपत्तियों को निर्दिष्ट करना विधिसम्मत होगा, जो उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार, अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां हैं और उप-धारा (1) के तहत तदनुसार एक निष्कर्ष दर्ज करें।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी इस धारा के तहत इस आशय का निष्कर्ष दर्ज करता है कि कोई संपत्ति अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है, तो वह घोषणा करेगा कि ऐसी संपत्ति, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सभी बाधाओं से मुक्त होकर केंद्र सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

(4) जहां इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी के किसी भी शेयर को केंद्र सरकार को जब्त कर दिया जाता है, तो कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी के संघ के लेखों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्र सरकार को ऐसे शेयरों के हस्तांतरणकर्ता के रूप में तुरंत पंजीकृत करेगी।

8. सबूत का बोझ

इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में, यह साबित करने का बोझ/भार कि धारा 6 के तहत दी गई सूचना में निर्दिष्ट कोई भी संपत्ति अवैध रूप से अर्जित संपत्ति नहीं है, प्रभावित व्यक्ति पर होगा।

9. जब्त करने के बदले में जुर्माना

(1) जहां सक्षम प्राधिकारी यह घोषणा करता है कि धारा 7 के तहत केंद्र सरकार को कोई संपत्ति जब्त कर ली गई है और यह एक ऐसा मामला है जहां केवल एक हिस्से का स्रोत, आय, कमाई या संपत्ति के आधे से कम है जिससे ऐसी संपत्ति अर्जित की गई थी, सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए साबित नहीं हुआ है, तो वह प्रभावित व्यक्ति को जब्त

करने के बदले, ऐसे हिस्से के मूल्य के एक और पांचवें गुना के बराबर जुर्माना देने का विकल्प देते हुए एक आदेश देगा।

स्पष्टीकरण- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, आय, कमाई या परिसंपत्तियों के किसी भी हिस्से का मूल्य, जिसके साथ कोई संपत्ति अर्जित की गई है, होगा -

(क) आय या कमाई के किसी भाग के मामले में, आय या कमाई के ऐसे भाग की राशि;

(ख) परिसंपत्तियों के किसी भाग के मामले में, ऐसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य का आनुपातिक भाग।

(2) उप-धारा (1) के तहत जुर्माना लगाने का आदेश देने से पहले, प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

(3) जहां प्रभावित व्यक्ति उप-धारा (1) के तहत देय जुर्माने का भुगतान करता है, ऐसे समय के भीतर जो उस ओर से अनुमत किया जाए, सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा धारा 7 के तहत ज़बती की घोषणा को रद्द कर सकता है और उस पर ऐसी संपत्ति जारी हो जाएगी।”

12. अधिनियम, 1976 के कार्यक्षेत्र और दायरे को ध्यान में रखते हुए, जिसमें से एक विस्तृत संदर्भ दिया गया है, ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के संदर्भ में धारा 6 के तहत ज़बती की कार्यवाही शुरू की जा सकती है, जो स्पष्टीकरण के साथ पठित धारा 2 के तहत शामिल हैं, एक कारण बताओ नोटिस/सूचना द्वारा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उचित अनुपालन के बाद, अधिनियम 1976 की धारा 7 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए संपत्ति को ज़ब्त करने का आदेश पारित करने की शक्ति सक्षम प्राधिकारी में निहित है।

13. धारा 8 स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित करती है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में, अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के संबंध में धारा 6 के तहत

दिए गए नोटिस/सूचना के संबंध में सबूत का भार इन पर होगा - प्रभावित व्यक्ति और धारा 7 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय, ऐसे मामले में अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को ज़ब्त करना जहां केवल एक हिस्से का स्रोत, आय के आधे से कम है, जिसमें ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है, अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए सबूत के अधीन है, प्रभावित व्यक्ति को ज़ब्त के बदले में भुगतान करने का विकल्प दिया जा सकता है, जो कि अधिनियम 1976 की धारा 9 के तहत इंगित किए गए हिस्से के मूल्य का जुर्माना है।

14. प्रत्यर्थियों ने संपत्ति की ज़बती की धारा 6 के तहत कारन बताओ नोटिस/सूचना देने की कार्यवाही शुरू कर दी है जो पहली अपीलकर्ता फर्म और उसके भागीदारों (अपीलकर्ता संख्या 2 से 5) को गलत तरीके से प्राप्त लाभ से ली गई थी। दिनांक 16 अक्टूबर, 1994। सक्षम प्राधिकारी ने, पहली बार, अभिलेख पर सामग्री को ध्यान में रखने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला कि मैसर्स प्लेटिनम थिएटर में पूंजी के रूप में भागीदारों का कुल योगदान 10,20,000/- रुपये था, जैसा कि साझेदारी विलेख के साथ-साथ मैसर्स प्लेटिनम थिएटर के रिटर्न/विवरणों से देखा जा सकता है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि एन. ए. यूसुफ ने 5 लाख रुपये का योगदान दिया था। अपीलार्थी संख्या (पी. एम. साहिदा) और उनके नाबालिग पुत्र ने रु. 5. 20 लाख रुपये का योगदान दिया था। साझेदार साझेदारी विलेख के संदर्भ में अपने पूंजी योगदान के आधार पर किसी फर्म की संपत्ति के संयुक्त मालिक होते हैं।

15. एन. ए. यूसुफ ने किसी भी स्रोत का खुलासा नहीं किया है जिससे उन्हें 5 लाख रुपये का पूंजी योगदान मिला हो। अपीलार्थी संख्या 2 (पी. एम. साहिदा) और उनका नाबालिग पुत्र द्वारा किए गए योगदान के संबंध में साझेदारी फॉर्म में 5.20 लाख रुपये, साझेदारी फर्म में निवेशित धन के स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। आकलन पर आयकर विभाग के अधिकारी यह साबित करने में सक्षम थे कि न तो एन. ए. यूसुफ और न ही किसी और द्वारा किए गए योगदान का स्रोत और अपीलार्थी सं. 2 (पी. एम. साहिदा) और उनका नाबालिग पुत्र के की आय के रूप में 4.57 लाख का आकलन किया गया था। रिकॉर्ड पर आए

अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों से पता चलता है कि थिएटर का निर्माण और सजावट एन. ए. यूसुफ द्वारा एक मालिक के रूप में की गई थी। एक निष्कर्ष दर्ज किया गया कि मेसर्स प्लेटिनम थिएटर में पूरी पूंजी एन. ए. यूसुफ, पी. एम. साहिदा (अपीलार्थी सं.2) और उसके नाबालिग बच्चों को एन. ए. यूसुफ द्वारा अपनी तस्करी गतिविधियों के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित धन के माध्यम से बनाया गया था। यह निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए आय-कर विवरणी द्वारा समर्थित था। अपीलार्थी सं. 2 (पी. एम. साहिदा) जिसने दावा किया कि भूमि उसके द्वारा वर्ष 1969 में शादी के उपहारों के माध्यम से उत्पन्न अपने स्वयं के धन से 33,000/- रुपये में खरीदी गई थी, जिसके समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था, और भूमि के साथ, थिएटर का मूल्य 25.12 लाख रुपये आता है। अपीलकर्ता इस बात को सही ठहराने में विफल रहे कि विजया बैंक से 12 लाख रुपये का कर्ज कभी भी विषय रंगमंच में निवेश किए गए थे। रिकॉर्ड/अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं रखा गया था जो यह साबित कर सके कि थिएटर के निर्माण में 12 लाख रुपये का निवेश किया गया था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के अनुसार, मूल्यांकन किए गए मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक (यानी थिएटर का मूल्य 13.12 लाख रुपये) अस्पष्ट बना हुआ है और तदनुसार थिएटर 31 दिसंबर, 1997 के आदेश के तहत अधिनियम, 1976 की धारा 7 के तहत सभी बाधाओं से मुक्त होने के लिए उत्तरदायी था। अपील किए जाने पर, 7 सितंबर, 1999 के आदेश द्वारा निष्कर्ष की पुष्टि की गई।

16. उक्त आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिलेख पर तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर फिर से विचार किया और एक निष्कर्ष वापस किया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के दौरान किसी भी अपीलार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया था, जो अधिनियम 1976 की धारा 8 के संदर्भ में साबित करने के लिए बाध्य हैं। अभिलेख पर आए साक्ष्य से यह एकत्र किया जा सकता है कि भागीदारों द्वारा किए गए निवेश से (अपीलार्थी संख्या 2 से 5) 10.20 लाख रुपये, एन. ए. यूसुफ ने 5 लाख रुपये और

अपीलार्थी सं.2 (पी. एम. सहीदा) और उनके बच्चों ने 5.2 लाख रुपये का योगदान दिया है। लेकिन न तो एन. ए. यूसुफ ने किसी भी स्रोत को उचित ठहराया है जहां से उनका पूंजी योगदान किया गया था और न ही अपीलार्थी (संख्या 2 से 5) द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया था। उनकी आय के स्रोत के बारे में और यह सभी चरणों में अविश्वास था और एक निष्कर्ष वापस किया गया था कि निवेश का बड़ा हिस्सा अज्ञात स्रोतों से आय के रूप में माना गया है। इसके अलावा, अपीलार्थी संख्या 2 (पी. एम. साहिदा) द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया था, अभिलेख पर यह उचित ठहराने के लिए कि प्रश्नगत भूमि वर्ष 1969 में 16 अप्रैल, 1969 के बिक्री विलेख के माध्यम से उनकी कमान में उपलब्ध संसाधनों से खरीदी गई थी। दी गई परिस्थितियों में, अपीलार्थी अधिनियम 1976 की धारा 9 के संरक्षण की मांग करने के हकदार नहीं हैं।

17. इसके अलावा, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए तर्क पर ध्यान देने के बाद, अधिनियम 1976 की धारा 9 के तहत विचार के अनुसार, ज़ब्त करने के बदले जुर्माना लगाने के लिए अपीलकर्ताओं के वकील/अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों के संबंध में, एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि अपीलकर्ता अधिनियम 1976 की धारा 9 का संरक्षण प्राप्त करने के हकदार क्यों नहीं हैं, जो इस प्रकार है:

"याचिकाकर्ताओं के वकील/अधिवक्ता का तर्क है कि प्रमुख योगदान याचिकाकर्ताओं से है और यह कि प्रश्नगत भूमि वर्ष 1969 में द्वितीय याचिकाकर्ता साहिदा के उधार से साझेदारी समझौता करने से पहले अधिग्रहित की गई थी और प्रश्नगत भूमि को ज़ब्त करने के लिए विचार में नहीं लिया जाना चाहिए था, और इस तरह, सक्षम प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण को केवल जुर्माना लगाने और संपत्ति को ज़ब्त नहीं करने के लिए उसी पर विचार करना चाहिए था और साथ ही प्रश्नगत भूमि याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध होनी चाहिए और यह ज़बती का विषय नहीं होना चाहिए।

इस संबंध में, ऐसा प्रतीत होता है कि सक्षम प्राधिकरण के साथ-साथ अपीलीय न्यायाधिकरण ने लेन-देन को उल्लेख किया है और यह भी उल्लेख किया है कि द्वितीय याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 1969 में 33,000 रुपये के लिए विचाराधीन प्रश्नगत भूमि के अधिग्रहण का ठीक से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, और द्वितीय याचिकाकर्ता और एन. ए. यूसुफ के बीच हस्ताक्षरित समझौते पर भी संदेह किया गया है, और अधिग्रहण के स्रोत के रूप में ऐसे किसी भी उचित स्पष्टीकरण के अभाव में, यह माना गया है कि बड़ा निवेश अस्पष्ट है और द्वितीय याचिकाकर्ता के संस्करण को भी इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उसकी शादी से उपहार का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी के साथ-साथ अपीलीय न्यायाधिकरण के अनुसार, भले ही भूमि का मूल्य केवल 33,000/- रुपये लिया जाए, भूमि और भवन का कुल मूल्य 25,20,000/- रुपये होगा और इस तरह, यह विचार था कि निवेश का बड़ा हिस्सा अस्पष्ट रहा। यहां तक कि भवन के निर्माण और अन्य सभी विभिन्न प्रतिष्ठानों की लागत के संबंध में खाते भी नहीं रखे हैं।”

18. प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा वापस किए गए निष्कर्ष में कोई त्रुटियां नहीं पाते हैं जो हमारे हस्तक्षेप की मांग कर सकता है।

19. इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसे अपीलार्थी संख्या 2 (पी. एम. साहिदा) खंडन में जो प्रथम दृष्टया वर्ष 1969 में प्रश्नगत भूमि के अधिग्रहण के लिए 33,000/- रुपये की राशि उसके आदेश पर उपलब्ध धन के स्रोतों को भी उचित ठहरा सकता है। अधिग्रहण के स्रोत के बारे में उचित स्पष्टीकरण के अभाव में और चूंकि अधिकांश निवेश अस्पष्ट है, प्राधिकरण ने अपीलार्थी सं. 2 (पी. एम. सहीदा) के रूप में उनकी शादी से उपहारों को रिकॉर्ड/अभिलेख पर कोई सबूत नहीं रखा गया था। भूमि का मूल्य केवल 33,000/- रुपये लिया जाता है, भूमि और भवन का कुल मूल्य 25,20,000/- रुपये है, और इस तरह, निवेश का

प्रमुख हिस्सा अभी भी अस्पष्ट है। यहां तक कि भवन के निर्माण की लागत के संबंध में खाते भी नहीं रखे गए थे, जिसके अभाव में, प्राधिकरण ने अधिनियम 1976 की धारा 7 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए संपत्ति को जब्त करने में कोई स्पष्ट त्रुटियां नहीं की है।

20. यह कहने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थियों के संदर्भ में कार्यवाही शुरू की गई थी, पहली बार में, 13 जनवरी, 1977 के कारण बताए जाने के नोटिस के अनुसार और सक्षम प्राधिकारी ने 23 नवंबर, 1977 को जब्त करने का आदेश पारित किया। बाद में इसे वर्ष 1991 में अलग कर दिया गया और 16 अक्टूबर, 1994 के अधिनियम की धारा के तहत कारण बताओ नोटिस/सूचना के अनुसार नई जब्ती की कार्यवाही शुरू की गई, जो अंततः 31 दिसंबर, 1997 को सक्षम प्राधिकारी के आदेश को पारित करने में समाप्त हुई और अपील को खारिज करने पर, रिट याचिका को अपीलार्थियों के कहने पर प्राथमिकता दी गई और मामला इस स्तर तक पहुंच गया। इस प्रकार, दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, संपत्ति की जब्ती के लिए कार्यवाही शुरू करने में तथाकथित सकल देरी की याचिका ही गलत धारणा है और एक स्पष्ट अस्वीकृति के योग्य है।

21. नतीजतन, अपील आधारहीन है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है। बिना अर्थदंड के।

22. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अंकित ज्ञान

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायक: महेंद्र यादव, एल. सी. आर. ए.)